

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।
सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०१/२०२०-

प्रेषक,

अवर सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार।

सेवा में,

1. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
2. अवर सचिव, वै०दा०नि०को० (वित्त विभाग), बिहार, पटना।
3. महालेखाकार, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- ग्रामीण विकास सेवा के पदाधिकारियों के कोषागार प्रशिक्षण-प्रमाण पत्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार विषयांकित सेवा के पदाधिकारी के संबंध में जिला पदाधिकारी समाहर्ता द्वारा निर्गत कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा प्रदान की जाती है, जो निम्नांकित है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	प्रशिक्षण अवधि	जिला पदा०/समाहर्ता द्वारा प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करने की तिथि
1	Shri Kumar Vishal, Rural Development Officer, District - Rohtas	09.10.2021 से 29.10.2021 तक	29.10.2021

विश्वासभाजन,

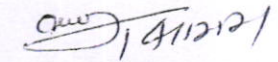
ह०/-

अवर सचिव

राजस्व, पर्षद, बिहार, पटना।

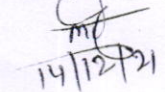
ज्ञापक:- सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०१/२०२०-१५५१ पटना, दिनांक:- १५-१२-२०२१

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी रोहतास एवं Shri Kumar Vishal, Rural Development Officer,
District - Rohtas को सूचनार्थ प्रेषित।



अवर सचिव

राजस्व, पर्षद, बिहार, पटना।


१५/१२/२१